न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–404/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00024)

1 बब्बू उर्फ बाबूलाल पुत्र बोदू, जाति गुर्जर, निवासी बगवाड़ा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 22.01.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 27.05.2016 (प्रकरण संख्या 44/14) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बगवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 495 रकबा 183 बीघा 09 बिस्वा में से 07 बीघा 02 बिस्वा भूमि का क्रय नाथू पुत्र नानगा व बब्बू पुत्र बोदू, जाति गुर्जर द्वारा किया गया था तथा उक्त क्रयशुदा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 239 दिनांक 26.03.1980 को क्रेतागण के नाम तस्दीक किया गया है, उक्त क्रयशुदा भूमि के हाल खसरा नम्बर 513 लगायत 517, खसरा नम्बर 1687 लगायत 1690, खसरा नम्बर 1717/1954, 1692/1959, 1690/2034 बनाये गये है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त नामान्तरकरण का अमल जमाबन्दी में नही हो सका तथा भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान जमाबन्दी तैयार नही की गई तथा हाल राजस्व रिकार्ड में अमल नही हो सका व भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान किसी व्यक्ति की खातेदारी समाप्त नही की जा सकती है, इस बाबत विचारण न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तहसील की रिपोर्ट मंगवाये ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र राजस्व कैम्प बगवाड़ा में खारिज कर दिया गया जो आदेश विधि विरूद्ध, मनमाना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के

पूर्व में राजस्व रिकार्ड नामान्तरकरण में खातेदारी दर्ज की जा चुकी थी उसके पश्चात् हाल राजस्व रिकार्ड नामान्तरकरण हाल राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण का अमल नही हुआ जबकि नामान्तरकरण संख्या 239 दिनांक 26.03.1980 आज तक बहाल है जिसका हाल राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया पर किसी प्रकार का मनन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत बगवाड़ा में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में किया गया है इस कारण अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में नही हो सकी तथा दिनांक 07.10.2016 को अपीलधीन निर्णय की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त होने पर प्रथम बार जानकारी हुई तथा जानकारी की दिनांक से अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है, ऐसी स्थिति में दिनांक 27.05.16 से दिनांक 07.10.16 तक की अवधि जानकारी के अभाव में माफ किये जाने योग्य है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2016 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.16 को प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.06.2016 नियत की गई है तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.16 को ही उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प बगवाड़ा में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2016

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।